

Office of the Deputy Commissioner Una District Una (H.P.)

e-mail: unicc-una-hp@nic.jimphnka.01975-223213

DCU/MA-MC-III/Edn/2023-3394-3397

To

1. The Deputy Director Elementary Education,
Una, District Una (H.P.)
2. The Deputy Director Higher Education,
Una, District Una (H.P.)
3. The Principal IIT,
Una, District Una (H.P.)

Dated Una, the 18 May, 2023


Subject: - H.P. Minorities Finance & Development Corporation.

Sir,

Enclosed herewith please find a copy of D.O. letter No. HPMFDC.51-4/12-Vol-292 dated 01/05/2023 received from the Managing Director, H.P. Minorities Finance & Development Corporation, Shimla Himachal Pradesh on the subject cited above.


In this regard, I have been directed to inform you about the dissemination of this noble cause.

Yours faithfully,


Varinder Sharma, HPAS
Assistant Commissioner to
Deputy Commissioner,
Una, District Una (H.P.)
Dated: 16 May, 2023

Endst. No. As above

Copy is forwarded to the District Public Relation Officer, Una District Una (H.P.) for information.


Varinder Sharma, HPAS
Assistant Commissioner to
Deputy Commissioner,
Una, District Una (H.P.)

214
23/5/23

A-3
23/5/23

DDRE

Endst. No:- EDN-U(A-III)Misc - 509
Office of Dy. Director of Higher Education
UnaDistt. Una HP

Dated

Una

25 May, 2023

All the Principals/Headmasters GSSS/GHS/Private Sr. Sec. Schools & Private High Schools in Una District for information and with the directions to make wide publicity of this new scheme.

~~Dy. Director of Higher Education~~
Una District Una



हिमाचल प्रदेश अल्पसंख्यक वित्त एवं विकास निगम
(हिमाचल प्रदेश सरकार का उपक्रम, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग)

H.P. Minorities Finance & Development Corporation

(A H.P. Govt. Undertaking, Deptt. of Social Justice & Empowerment)

D.O.No.HPMFDC:51-4/12-V01-VI-

Dated: 1-5-2023

Dear Raghav Sharma ji,

The H.P. Minorities Finance & Development Corporation (HPMFDC) was registered under Section 25 of the Companies Act, 1955 (not for profit) on 23-09-1996 and was declared State Channeling Agency (SCA) for National Minorities Development & Finance Corporation, New Delhi (NMDFC) with the objective to support social, economic and educational needs of Minorities Communities in H.P; by affording financial assistance for income generation activities, Self-employment and Higher Education. Similarly, the Corporation was also declared SCA for National Handicapped Development & Finance Corporation, Faridabad (NHDFC) on 20-01-1999 for providing financial assistance for income generation activity, Self-employment and Higher education to the persons with disabilities (40% or above).

The objective of the Corporation is to provide term loan for setting up Self-employment ventures of income generation and education loan for acquiring higher and professional studies in India and abroad as well of above target groups of marginalized sections.

This Corporation would solicit your intervention in mobilizing the families/persons of above target groups to avail such financial assistance/term loans by involving the potential stakeholder viz., Schools, Colleges/Universities, ITIs etc to select such target students and campaign may also be carried out for optimal leveraging of such schemes (Schemes brochure enclosed). I shall be greatly obliged and indebted if you could extend your stewardship in this noble cause.

With regards!

Yours sincerely,

(Pradeep Kumar Thakur, IAS)
Managing Director

Sh. Raghav Sharma, IAS
Deputy Commissioner,
Una

पंजीकृत कार्यालय: एसडीओ परिसर, ब्लॉक नं० 38, प्रथम मंजिल, कसुम्पटी, शिमला-171 009

Regd. Office : S.D.A. Complex, Block No. 38, 1st Floor, Kasumpti, Shimla-171 009

Telefax : 0177-2621669, Tel.No. : 0177-2622164, Website : minority.hp.gov.in

email : hpmfdc2014@gmail.com, CIN-06-18820 of 1996

AC/MA
P
8/15/23

20391138
6-5-23

MC-111

(क) लघु व्यापार

बु २० से 5.00 लाख २० तक में आवेदक का हिस्सा 5%

16. टैट हाऊस
17. टाईपिंग इंस्ट्रुक्ट
18. केबल, टी0वी0, डिश
19. फोटो-कॉपियर युनिट
20. होटल रैस्वॉरेंट
21. पत्तोर मिल
22. कारपैन्टरी युनिट
23. दाबा युनिट
24. बारबर शॉप
25. टेलरिंग शॉप
26. हेयर कटिंग सैलून
27. लेथ वर्कशॉप
28. साईबर कैफे
29. स्टील इन्डस्ट्रीज
30. ऑटो रिपेयर शॉप, शीट मेटल वर्कशॉप

सम्बन्धी कारोबार की स्थापना

बु २० में आवेदक का हिस्सा 10% तथा सावधिकरण

(ग) ट्रांसपोर्ट

बु २० में आवेदक का हिस्सा 10% तथा सावधिकरण

38. ऑटो रिक्शा डीजल

(घ) लघु ईकाई की स्थापना

(परियोजना लागत यु0 2.5.00 लाख २० में आवेदक का हिस्सा 10% तथा सावधिकरण का भाग 90%)

39. एगो बेल्ट इन्डस्ट्री

(उपरोक्त इकाइयों के अतिरिक्त आवेदक जिस भी इकाई में दक्ष/निपुण है, के लिए भी ऋण उपलब्ध करवाया जा सकता है)

ख	सहायक उपकरणों की खरीद हेतु (रैनेफटिंग सहित) दिव्यांग व्यक्ति 4-6 प्रतिशत वार्षिक दर पर ऋण जिससे उसकी स्वरोजगार की संभावनाएं बढ़ें।	यु0 5.00 लाख २० तक
---	--	--------------------

शैक्षिक ऋण योजना :

आवेदक जिसकी आयु 18 से 45 वर्ष के मध्य हो तथा दिव्यांगता 40 प्रतिशत या इससे अधिक हो तो उन सभी कोर्सों जिनमें स्नातक, स्नातकोत्तर कोर्स, व्यावसायिक कोर्स तथा अन्य कोर्स जो कि यू0जी0सी0/सरकारी तथा ए0 आई0 टी0 सी0 से अनुमोदित के लिए देश में यु0 10.00 लाख २० तक का ऋण तथा विदेश में यु0 20.00 लाख २० तक के ऋण 4 प्रतिशत ब्याज दर पर 7 वर्ष की अवधि के भीतर ऋण वापसी के लिए आवेदन कर सकता है। महिला लाभार्थियों को 0.5 प्रतिशत ब्याज दर पर छूटा ऋण राशि का 5 प्रतिशत भाग लाभार्थी को स्वयं वहन करना होगा।

जमानत :

प्रार्थी द्वारा लिए जाने वाले ऋण राशि के एवज में किसी सरकारी कर्मचारी की जमानत, जमीन या अन्य जमानत जो निगम को मान्य हो, देनी होगी।

प्रबन्ध निदेशक

हिमाचल प्रदेश अल्पसंख्यक वित्त एवं विकास निगम, एस0 डी0 ए0 परिसर, ब्लॉक नं0 38, प्रथम मंजिल, कसुम्पटी, शिमला-171 009 (हि0 प्र0)


दूरभाष नं0 0177-2621669, 2622164

वेबसाइट : minority.hp.go.in

Gmail : hpmfcd2014@gmail.com

अल्पसंख्यक एवं निःशक्त व्यक्तिओं हेतु

कल्याणार्थ योजनाएं एवं सुविधाएं



हिमाचल प्रदेश अल्पसंख्यक वित्त एवं विकास निगम
(सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, हिमाचल प्रदेश)

एस0डी0ए0 परिसर, ब्लॉक नं0 38, प्रथम मंजिल
कसुम्पटी, शिमला-171 009 (हि0प्र0)

दूरभाष नं0 : 0177-2621669, 2622164

वेबसाइट : minority.hp-go.in

हिमाचल प्रदेश अल्पसंख्यक वित्त एवं विकास निगम का गठन, भारत सरकार द्वारा अधिकृत अल्पसंख्यकों अर्थात् मुस्लिम, सिक्ख, ईसाई, बौद्ध, पारसी एवं जैन के छः समुदाय के लोगों में 'पिछड़े वर्गों' के आर्थिक विकास हेतु किया गया था। इसकी स्थापना 23 सितम्बर, 1996 को कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 25 के अधीन एक लाभ निरपेक्ष कम्पनी के रूप में की गई जिसका मुख्य उद्देश्य उपरोक्त समुदाय के व्यक्तियों के आर्थिक एवं सामाजिक उत्थान तथा उच्च एवं व्यावसायिक शिक्षा ग्रहण हेतु राष्ट्रीय अल्पसंख्यक विकास एवं वित्त निगम, दिल्ली के माध्यम से सस्ते ब्याज दरों पर एवं आसान शर्तों पर मु० 10.00 लाख रु० तक के ऋण उपलब्ध करवाना है जिसके लिए राज्य सरकार ने इस निगम को उपरोक्त राष्ट्रीय निगम की राज्य चैनलाईजिंग एजेंसी घोषित कर रखा है।

इसके साथ-साथ इस निगम को राज्य सरकार ने 21 अक्टूबर, 1999 को राष्ट्रीय विकलांग वित्त एवं विकास निगम, फरीदाबाद को भी राज्य चैनलाईजिंग एजेंसी घोषित किया है। जिसका मुख्य उद्देश्य उपरोक्त राष्ट्रीय निगम के माध्यम से दिव्यांग व्यक्तियों के आर्थिक एवं सामाजिक उत्थान तथा उच्च एवं व्यावसायिक शिक्षा ग्रहण हेतु तरह-तरह की कल्याणकारी योजनाओं को कार्यान्वित करने के लिए मु० 25.00 लाख रुपये तक के ऋण उपलब्ध करवाना है।

(क) लघु व्यापार

(परियोजना लागत मु० 10.00 लाख रु० में आवेदक का हिस्सा 5% तथा सावधिकरण का भाग 95%)

1. रेडीमेड गारमेंट शॉप
2. स्वेचनरी शॉप
3. बैलिंग वर्कशॉप
4. भेडिसन शॉप
5. मीटशॉप
6. बुकशॉप
7. फूट शॉप
8. सब्जी की दुकान या फल की दुकान
9. कारियाना दुकान
10. टैलीविजन तथा बिजली सामान की रिपेयर शॉप
11. मिठाई की दुकान
12. जूते की दुकान
13. कपड़े की दुकान
14. टी-स्टाल
15. हैडलूम युनिट

16. डैट हाऊस
17. टाईपिंग इन्स्ट्र्यूट
18. केबल, टीवी, डिश
19. कोट-कॉपियर युनिट
20. होटल रैस्टोरेंट
21. फ्लोर मिल
22. कारपैन्ट्री युनिट
23. ढाबा युनिट
24. बाबर शॉप
25. टेलरिंग शॉप
26. हेयर कटिंग सैलून
27. लेथ वर्कशॉप
28. सार्बर्न कैफे
29. स्टील इन्डस्ट्रीज
30. ऑटो रिपेयर शॉप शीट मेटल वर्कशॉप

(परियोजना लागत मु० 10.00 लाख रु० में आवेदक का हिस्सा 5% तथा सावधिकरण का भाग 95%)

31. डेयरी फार्मिंग
32. ट्रेक्टर ड्रावली युनिट
33. मधुमक्खी पालन
34. कमरिशियल शीप फार्मिंग

(ग) ट्रांसपोर्ट

35. जीप गुड्स कैरियर
36. टैक्सी
37. ऑटो रिक्शा पेट्रोल
38. ऑटो रिक्शा डीजल

(घ) सर्विस सैक्टर

(परियोजना लागत मु० 10.00 लाख रु० में आवेदक का हिस्सा 5% तथा सावधिकरण का भाग 95%)

39. शूटिंग युनिट
 40. ऑटो मोबाइल वर्कशॉप
 41. इलेक्ट्रीकल सर्विसिंग एण्ड रिपेयर शॉप
 42. ड्रैटिंग एण्ड पेंटिंग ऑफ व्हीकल
 43. स्टील फ़ैब्रिकेशन
- (उपरोक्त इकाइयों के अतिरिक्त आवेदक जिस भी इकाई में दक्ष/निपुण है, के लिए भी ऋण उपलब्ध करवाया जा सकता है।)

अल्पसंख्यक समुदाय के व्यक्तियों के लिए ऋण पात्रता की शर्तें :-

1. प्राथी हिमाचल प्रदेश का स्थायी निवासी होना चाहिए
2. प्राथी भारत सरकार द्वारा किसी भी अधिसूचित अल्पसंख्यक वर्ग (मुस्लिम, सिक्ख, ईसाई, बौद्ध, पारसी एवं जैन) से सम्बन्ध रखता हो।
3. प्राथी की उम्र 18 से 55 वर्ष होनी चाहिए।
4. प्राथी की पारिवारिक आय सभी स्त्रोतों से शहरी क्षेत्र में 1,20,000/- रु० प्रति वर्ष तथा ग्रामीण क्षेत्र में 98,000/- रु० प्रति वर्ष तक होनी चाहिए।
5. प्राथी किसी भी वित्तीय संस्था/बैंक का ऋण दोषी न हो।
6. प्राथी की पारिवारिक सालाना आय क्रिमीलेयर के आधार पर 6.00 लाख रु० तक होनी चाहिए।
7. ट्रांसपोर्ट सैक्टर में ड्राईविंग लाईसंस होना अनिवार्य होगा।

(क) (सावधि ऋण)

प्रति लाभार्थी को अधिकतम 10.00 लाख रु० परतु ऋण परियोजना की कुल लागत का 95% र लाभार्थी को कम से कम 5% धन अपने स्त्रोतों से स्विकृत सावधि ऋण का ब्याज : वार्षिक ब्याज

ऋण की अवधि की अवधि : ब्याज सहित अवधि में कर

शैक्षिक ऋण योजना :

आवेदक जिसकी आयु 16 से 32 वर्ष के मध्य परिवारों के लिए निर्धारित पात्रता को पूर्ण करता हो, व्यावसायिक व तकनीकी कोर्सों के लिए जो कि 5 वर्ष का सफलता है। विदेश में कोर्स के लिए 5 वर्ष की अवधि के दर से अधिकतम मु० 20.00 लाख रु० के ऋण के लिए का 5% भाग लाभार्थी को स्वयं वहन करना होगा:-

1. पी.एच.डी. 2. एम.बी.बी.एस. 3.
4. एल.एल.बी. 5. जे.बी.टी. 6.
7. इंजीनियरिंग आर्किटेक्चर में स्नातक 8.
9. आयुर्वेदिक में स्नातक कोर्स 10.
11. अन्य व्यावसायिक एवं तकनीकी कोर्स/डिग्रियां

दिव्यांग व्यक्तियों के लिए ऋण पात्रता :

1. कोई भी दिव्यांग व्यक्ति जिसकी दिव्यांगता 40 %
 2. हिमाचल प्रदेश का स्थाई निवासी होना चाहिए।
 3. उम्र 18 वर्ष से अधिक होनी चाहिए।
 4. किसी भी वित्तीय संस्था/बैंक का ऋण दोषी न हो।
- दिव्यांग व्यक्तियों के लिए आवेदक योजनाएं:
- राष्ट्रीय विकलांग वित्त एवं विकास निगम, दिल्ली हेतु कम दरों एवं आसान शर्तों पर निम्नलिखित आवेदक उपलब्ध करवाता है:-